न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 76/2022 बउनवानी संतोष अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर,गंगापुर सिटी निवासी मु.पो. वजीरपुर

GCMS No-2022/134

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 07.6.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्री प्रहलाद दास स्वामी चेला रघुनाथदास स्वामी गंगापुर सिटी एक एम.एल.बन्दूक का लाईसेंस नम्बर 613/एमएल/एसडब्ल्यूएम/60 कब जारी हुआ इसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
2. प्रहलाद दास स्वामी पुत्र भोलाराम गंगापुर सिटी एक एम.एल बन्दूक का लाईसेंस नम्बर 613/एमएल/एसडब्ल्यूएम/60 कब जारी हुआ इसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
3. प्रहलाद दास स्वामी चेला रघुनाथदास स्वामी गंगापुर सिटी की पेंशन फाईल मे कुलक भरी गयी उसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
4. ग्राम पंचायत वजीरपुर में कल्याणदास स्वामी चेला रघुनाथदास स्वामी के नाम जारी बन्दूक का लाईसेंस कब जारी हुआ उसकी सम्पूर्ण पत्रावल की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2022/31 दिनांक 17.8.2022 से अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय पत्रांक/आरटीआई/2022/18 दिनांक 16.6.2022 से अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अन्तरित किया जाने पर अतिरिक्त जिला कलेटर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2 (154)सूकाअ/2022/581 दिनांक 29.6.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,4 की सूचना विशिष्टिविहीन एवं तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 की धारा 6(1)(बी) एवं धारा 11 के तहत देय नही है। चूंकि प्रहलाद दास स्वामी उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से सेवानिवृत नही हुआ था इसलिए उसके पेंशन कुलक की सूचना उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय से नही दी जा सकती है के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 19 दिनांक 16.6.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के [illegible] इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.6.2[illegible] प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,4 की सूचना विशिष्टिविहीन,प्रश्नात्मक [illegible] के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 की धारा 6(1)([illegible]) एवं धारा 11 के [illegible] देय नही होने बाबत एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को [illegible] सीमा मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:32:47 IST
Reason: SelfAttested